भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

दिनांक : 21 मई 2022

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) के कुलपति की नियुक्ति

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय उच्चतर अधिगम और शोध में उत्कृष्ता का एक संस्थान है |

अकादमिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण कुलपति से यह उम्मीद की जाती है:

- सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता संपन्न व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जायेगा। कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति एक विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए आचार्य के रूप में अनुभव या एक प्रतिष्ठित अनुसन्धान या शैक्षणिक प्रशंशानिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के साक्ष्य के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ एक विशिष्ट शिक्षाविद होना चाहिए।

- इस विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति की समापन तिथि पर 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं होना वांछनीय।

वेतन और सेवा शर्तें

- इस पद पर 2,10,000/- रुपए निश्चित प्रतिमाह के साथ 11,250/- रूपये का विशेष भत्ता और अन्य सामान्य भत्तों का भुगतान होता है।

- सेवाओं की निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, एवं सांविधियों तथा अध्यादेशों में दी गई है।

नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

- यह नियुक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के एक पैनल में से की जाएगी।

- यह विज्ञापन और आवेदन का प्रपत्र वेबसाइट **http://www.education.gov.in** और **http://www.mgcub.ac.in/** पर उपलब्ध है |

- निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर निम्नांकित ई-मेल पर पहुंचने चाहिए:

ई-मेल : navin.kumar.nacwc@nic.in

"ई-मेल का विषय 'कुलपति के पद हेतु आवेदन - महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय", होना चाहिए।

यह विभाग, किसी भी विलंब हेतु जिम्मेदार नहीं।

*****